न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांकः— 28.05.2019

मु0न0 46 / 19

पीठासीन अधिकारीः— दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. घसीयाराम पुत्र श्योपाल
2. लटूरया पुत्र श्योपाल
3. सेडयाराम पुत्र श्योपाल

जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

बनाम

1. संतोष कुमार पुत्र हजारी
2. हंसराज पुत्र हजारी
3. रामप्यारी बेवा हजारी
4. गिलासी देवी पत्नि भौमसिंह

जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री सुरेश चन्द शर्मा, रामअवतार शर्मा एडवोकेट (वादीगण)

दिनांक 19.11.2020

निर्णय

वादीगण द्वारा ग्राम शेखपुरा की आराजी ख0न0 92 / 0.17, 401 / 0.08, 1426 / 0.23, 1427 / 0.12, 1681 / 0.10, 1967 / 0.18 कुल किता 6 कुल रकवा 0.88 है0 मे वादीगण प्रत्येक बहिस्सा 1 / 4 तथा प्रतिवादी न0 1 ता 3 बहिस्सा 1 / 4 की खातेदारी तथा ख0न0 93 / 0.25, 1686 / 0.20, 2364 / 0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 0.50 है0 मे वादीगण प्रत्येक 1 / 4 हिस्से की खातेदारी की आराजीयात का तकास्मा कराने का दावा पेश किया। प्रतिवादीगण 1, 2, 3 की और से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी न0 4,5 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1, 2, 3 के वकील ने पक्षकारान की ओर से हिदायत पैरवी नही होने से पैरवी नही की जिस पर इन पक्षकारो को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बाद सुनवाई वादीगण का दावा प्राथमिक डिकी कर नायब तहसीलदार बालघाट को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया था, उनसे प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर बटवारा स्कीम के अनुसार दावा डिकी करने का कथन किया। वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेज व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। बटवारा स्कीम के अनुसार दावा डिकी किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादी घसीया पुत्र श्योलाल को आराजी ख0न0 1686 / 0.20, 1426 / 1 / 0.14 कुल किता 2 कुल रकवा 0.34 है0 का, वादी लटूरया पुत्र श्योलाल को आराजी ख0न0 93 / 1 / 0.13, 1426 / 2 / 0.09, 1681 / 2 / 0.05, 401 / 0.08 कुल किता 4 कुल रकवा 0.35 है0 का, वादी सेडया पुत्र श्योलाल को आराजी ख0न0 92 / 1 / 0.16, 1967 / 0.18 कुल किता 2 कुल रकवा 0.34 है0 का, तथा प्रतिवादी संतोष कुमार, हंसराज पि. हजारी, रामप्यारी पत्नि

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

ारी हि.ब. राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा महस्वा को आराजी ख0न0 1427/0.12, 31/1/0.05, 2364/0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 0.22 है0 का तथा प्रतिवादी गिलासी पत्नि भौमसिंह को आराजी ख0न0 93/2/0.12 है0 ग्राम शेखपुरा मे खातेदार काश्तकार षित किया जाता है। आराजी ख0न0 92/2 रकवा 0.01 है0 गै0मु0बोरिग मे घसीया, रया, सेडया पि0 श्योलाल बिला रहन हि0 3/4, संतोष कुमार, हंसराज पि. हजारी, प्यारी पत्नि हजारी हिस्सा 1/4 राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा महस्वा सयुक्त खातेदारी मे रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की ाजीयात के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा। पर्चा ी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया

19/11/20
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. घसीयाराम पुत्र श्योपाल
2. लदूरया पुत्र श्योपाल
3. सेडयाराम पुत्र श्योपाल

जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

बनाम

1. संतोष कुमार पुत्र हजारी
2. हंसराज पुत्र हजारी
3. रामप्यारी बेवा हजारी
4. गिलासी देवी पत्नि भौमसिंह

जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 46/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा, रामअवतार शर्मा एडवोकेट मिनकानिब मुदई रूबरू .... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म सुना जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादी घसीया पुत्र श्योलाल को आराजी ख0न0 1686/0.20, 1426/1/0.14 कुल किता 2 कुल रकवा 0.34 है0 का, वादी लदूरया पुत्र श्योलाल को आराजी ख0न0 93/1/0.13, 1426/2/0.09, 1681/2/0.05, 401/0.08 कुल किता 4 कुल रकवा 0.35 है0 का, वादी सेडया पुत्र श्योलाल को आराजी ख0न0 92/1/0.16, 1967/0.18 कुल किता 2 कुल रकवा 0.34 है0 का, तथा प्रतिवादी संतोष कुमार, हंसराज पि. हजारी, रामप्यारी पत्नि हजारी हि.ब. राहिन बी.आर.के. जी.बी. शाखा महस्वा को आराजी ख0न0 1427/0.12, 1681/1/0.05, 2364/0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 0.22 है0 का तथा प्रतिवादी गिलासी देवी पत्नि भौमसिंह को आराजी ख0न0 93/2/0. 12 है0 ग्राम शेखपुरा मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी ख0न0 92/2 रकवा 0.01 है0 गै0मु0बोरिग मे घसीया, लदूरया, सेडया पि0 श्योलाल बिला रहन हि0 3/4, संतोष कुमार, हंसराज पि. हजारी, रामप्यारी पत्नि हजारी हिस्सा 1/4 राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा महस्वा सयुक्त खातेदारी मे दर्ज रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की आराजीयात के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा।

निज......................मुबलिंग.............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19.11.2020 को जारी की गई।

19/11/20

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
बवत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					